



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

No. 1817]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2008/पौष 8, 1930

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2008/PAUSA 8, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2984(अ).—आवश्यक वस्तु/गन्ना - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2008 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में
(i) खंड 3 के उप-खण्ड (1) में, -

(क) मद(ड) के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(च) उपोत्पाद अर्थात् शीरा, खोई तथा प्रेस-मड के विक्रय से किया गया आपन या उनके अभ्यारोपित मूल्य”;

(ख) स्पष्टीकरण (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण (4): उपोत्पाद के अभ्यारोपित मूल्य में ऐसे उपोत्पाद का अविक्रीत मूल्य या चीनी कारखाने में अतिरिक्त मूल्य वर्द्धन के लिए ऐसे उपोत्पाद जैसे शीरे से एल्कोहल तथा इथेनॉल उत्पादन,

जैव-उर्वरक बनाए जाने के लिए प्रेस-मड के उपयोग और/या डिस्टिलरी बहिःस्राव उपचार खोई से या विद्युत उत्पादन या ऊपर उल्लिखित उपोत्पादों में मूल्य वर्द्धन के माध्यम से बनाए गए अन्य उत्पादों का सैद्धांतिक या अंतरण मूल्य सम्मिलित होगा किन्तु इसमें केवल चीनी के उत्पादन के लिए मुख्य चीनी कारखाने के बॉयलर को चलाने के लिए उपयोग की गई खोई सम्मिलित नहीं होनी चाहिए।”

स्पष्टीकरण (5): उपोत्पादों अर्थात् शीरा, खोई और प्रेस मड की बिक्री से की गई वसूली अथवा उनके अभ्यारोपित मूल्य से केवल अंतरण मूल्य अभिप्रेत है और यह उक्त उल्लिखित उपोत्पादों के मूल्य वर्द्धन के माध्यम से उत्पादन की गई विद्युत, एल्कोहल अथवा इथेनॉल, जैव-उर्वरक अथवा डिस्टिलरी बहिःस्राव उपचार अथवा बनाए गए किसी अन्य उत्पाद के मूल्य अथवा उससे प्राप्त लाभ से अभिप्रेत नहीं है।

(ii) खंड 3 क के परन्तुक में, उप-खंड(iv) में, 'फसल कटाई' शब्दों के स्थान पर 'फसल कटाई और परिवहन' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड 4 क के परन्तुक में, उप-खंड(iv) में, 'फसल कटाई' शब्दों के स्थान पर 'फसल कटाई और परिवहन' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-13/2008-एस.पी.-II]

टिप्पणी :-

मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा0का0नि0 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 फरवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए:-

1. सा.का.नि.35(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5.6.1967
2. सा.का.नि.1591(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा.का.नि.945(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.5.1968
4. सा.का.नि.1456(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2.8.1968
5. सा.का.नि.620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 8.4.1973
6. सा.का.नि.402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.9.1974
7. सा.का.नि.492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.9.1975
8. सा.का.नि.542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10.1975
9. सा.का.नि.484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.7.1976
10. सा.का.नि.799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.9.1976
11. सा.का.नि.815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.9.1976
12. सा.का.नि.913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.12.1976
13. सा.का.नि.62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2.2.1978

14. सा.का.नि.197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.3.1978
15. सा.का.नि.427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 3.7.1981
16. सा.का.नि.79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.2.1982
17. सा.का.नि.695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.9.1983
18. सा.का.नि.903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
19. सा.का.नि.113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.2.2003
20. सा.का.नि.204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.3.2004
21. का.आ.1940(अ) आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 10.11.2006
22. का.आ.1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31.7.2007
23. का.आ. 2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28.12.2007

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 2008

S.O. 2984(E).—/Ess.Com./Sugarcane. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:-

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2008.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, -
 - (i) in clause 3, in sub-clause (1), -
 - (a) after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

“(f) the realization made from sale of by-products viz. molasses, bagasse and press mud or their imputed value:”;
 - (b) after Explanation (3), the following Explanations shall be inserted, namely:-

“Explanation (4): Imputed value of the by-products would include unsold value or the notional or transfer value of such by-products for further value addition in the sugar factory like, alcohol and ethanol production from molasses, use of press mud for making bio-fertilizer and / or distillery effluent treatment, generation of power from bagasse or any other product produced through value addition to the by-products mentioned above but should not include the bagasse used for running the boiler of the main sugar factory for the production of sugar alone.

Explanation (5): The realization made from the sale of by-products namely, molasses, bagasse and press mud or their imputed value means only transfer prices and not the value of or profit from co-generated power, alcohol or ethanol, bio-fertilizers or distillery effluent treatment or any other product produced through value addition to the by-products mentioned above."

(ii) In clause 3A, in the proviso, in sub-clause (iv), for the word 'harvesting' the words "harvesting and transportation" shall be substituted;

(iii) In clause 4A, in the proviso, in sub-clause (iv), for the word 'harvesting' the words "harvesting and transportation" shall be substituted.

[F. No. 3-13/2008-S.P.-II]

ABINASH VERMA, Director

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1126/Ess.Com./Sugarcane, dated 16th July, 1966 and was subsequently amended by:

1. G.S.R. 35/Ess/Com./Sugarcane dated 5-1-1967
2. G.S.R. 1951/Ess/Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. G.S.R. 945/Ess/Com./Sugarcane dated 18-5-1968
4. G.S.R. 1456/Ess/Com./Sugarcane dated 2-8-1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 8-4-1973
6. G.S.R. 402(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 25-9-1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 12-9-1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 27-1-1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 26-7-1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 13-9-1976
11. G.S.R. 815/Ess/Com./Sugarcane dated 24-9-1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 9-2-1976
13. G.S.R. 62(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 2-2-1978
14. G.S.R. 197(E)/Ess/Com./Sugarcane dated 28-3-1978